

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला  
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 123/12

संस्थापन दिनांक :- 05/03/12

फाइलिंग नं. 233504000732012

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

**वि रु द्ध**

सरफराज उर्फ फर्रा पिता पीर खान  
उम्र 30 वर्ष, निवासी भीम नगर झोपड़ पट्टी,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

**—: ( नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 14.03.2018 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 03.03.2012 को समय शाम करीब 06:50 बजे कसारी मोहल्ला आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 03.03.2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध रूप से तलवारनुमा छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा तथा अभियुक्त को घेराबंदी कर अभियुक्त को मय हथियार के पकड़ा। अभियुक्त द्वारा तलवारनुमा छुरी रखने बाबत कोई कागजात नहीं होना बताये जाने पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक तलवारनुमा छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 92/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.03.2012 को समय शाम करीब 06:50 बजे कसारी मोहल्ला आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा ?”

### **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

5 आर.के. दुबे (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 03.03.2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ हवाई पट्टी के पास झोपड़ पट्टी भीमनगर आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की तलवार लिए मिला जिस पर उसने अभियुक्त घेराबंदी कर पकड़ा एवं अभियुक्त द्वारा तलवार रखने के संबंध में दस्तावेज पेश न करने पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से एक लोहे की तलवार जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 92/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए1 को वही आयुध होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।

6 यादोराव (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उसके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

7 प्रकरण में एक स्वतंत्र साक्षी लालमन को अदम पता किया गया है तथा साक्षी यादोराव (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर आर.के. दुबे (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि०**

**स्टेट ऑफ एम0पी0 ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 आर.के. दुबे (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर भीम नगर आमला मौके पर जाना तथा हमराह स्टाफ की मदद से अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ना, उससे लोहे की तलवार जप्त करना एवं उसकी गिरफ्तारी उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। जप्तशुदा तलवार को मौके पर सीलबंद किया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि जप्तशुदा छुरी की नाप किससे की गयी थी इसका उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं है। रोजनामचा सान्हा भी प्रकरण में संलग्न नहीं किया गया है। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि जप्तशुदा आयुध धारदार नहीं था।

9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। जप्ती पत्रक में जप्ती का समय 18:50 बजे लेख है जबकि गिरफ्तारी पत्रक में गिरफ्तारी का समय 18:55 बजे लेख है मात्र 5 मिनट में अभियुक्त से आयुध जप्त करना, उसकी नापजोप करना, उसे सीलबंद करना, जप्ती प्रपत्र तैयार करना एवं तत्पश्चात गिरफ्तार कर गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार करना अत्यन्त ही अस्वाभाविक है। विवेचक साक्षी आर.के. दुबे के कथनों से जप्तशुदा छुरी की नापजोप किये जाने के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण प्रकट नहीं हो रहा है। रोजनामचा सान्हा भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 03.03.2012 को समय शाम करीब 06:50 बजे कसारी मोहल्ला आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा। अतः अभियुक्त सरफराज को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की तलवारनुमा छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)